

बिहार सरकार
पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग

पत्रांक- पि०व०/ज०क०टा०छा०/नि०प्र०सं०-38-02/2020(खण्ड-1)-14

प्रेषक,

अनिल कुमार ठाकुर,
सरकार के अपर सचिव।

सेवा में,

सभी जिला पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण पदाधिकारी, बिहार।
(बांका, भागलपुर, शेखपुरा, सहरसा, सारण, वैशाली एवं शिवहर को छोड़कर)

पटना, दिनांक-12/02/2020

विषय:- वित्तीय वर्ष 2025-26 में स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय अन्तर्गत पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग अन्तर्गत संचालित जननायक कर्पूरी ठाकुर छात्रावासों के संधारणार्थ कुल राशि रु० 44,67,000/- (रु० चौबालीस लाख सड़सठ हजार) मात्र का आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय अन्तर्गत पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग अन्तर्गत संचालित जननायक कर्पूरी ठाकुर छात्रावासों के संधारणार्थ कुल राशि रु० 44,67,000/- (रु० चौबालीस लाख सड़सठ हजार) मात्र संलग्न सूची के अनुसार आवंटित की जाती है।

2-कुल भारित व्यय का वहन वित्तीय वर्ष 2025-26 स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय अन्तर्गत बजट शीर्ष माँग संख्या 11 मुख्य शीर्ष 2225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों का कल्याण उपमुख्य शीर्ष 03- पिछड़े वर्गों का कल्याण, लघु शीर्ष 277-शिक्षा, उप शीर्ष 0002-छात्रावासों का संधारण, विषय शीर्ष, 13.01-कार्यालय व्यय, 13.03-दुर्भाष, 13.04-विद्युत प्रभार, 21.01-सामग्री एवं पूर्तियाँ एवं 28.02-संविदा सेवाएँ विपत्र कोड सं०-11-2225-03-277-0002 के अंतर्गत विकलनीय होगा।

3- इस राशि के लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित जिलों के जिला पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण पदाधिकारी होंगे। निकासी की गई राशि का व्यय विवरणी एवं उपयोगिता प्रमाण-पत्र राशि व्यय होने के पश्चात् विभाग को भेजेंगे। संबंधित उप विकास आयुक्त इसके नियंत्री पदाधिकारी होंगे।

4- राशि की निकासी एवं व्यय वित्त विभाग के पत्रांक-2561, दिनांक-17.04.1998 तथा समय-समय पर वित्त विभाग/राज्य सरकार द्वारा निर्गत पत्रों के आलोक में किया जायेगा। राशि की निकासी उतनी ही की जाय, जिसका वास्तविक व्यय दिनांक-31.03.2026 तक हो सके एवं व्यय की संभावना नहीं रहने पर शेष राशि वित्तीय वर्ष समाप्ति के पूर्व विभाग को प्रत्यर्पित कर दिया जाय। जिस मद में राशि आवंटित की जा रही है, उसी मद में राशि का व्यय किया जाय। किसी भी स्थिति में राशि का विचलन नहीं किया जायेगा एवं बैंक में संचित नहीं किया जायेगा।


5- प्रस्ताव एवं प्रारूप में आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

6-प्रस्ताव में अपर मुख्य सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

7-इसकी सूचना महालेखाकार, बिहार को दिया जा रहा है।

अनु०:-यथोक्त।

विश्वासभाजन,


(अनिल कुमार ठाकुर)
सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापक- पि०व०/ज०क०टा०छा०/नि०प्र०सं०-38-02/2020(खण्ड-1)-14 पटना, दिनांक-12/02/2020
प्रतिलिपि-(1) महालेखाकार, बिहार, पटना, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(2) वित्त विभाग (बजट शाखा), बिहार पटना/योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(3) निदेशक/उप सचिव/विशेष कार्य पदाधिकारी/उप निदेशक, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(4) संबंधित कोषागार/उप कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(5) संबंधित प्रगंडलीय आयुक्त/संबंधित जिला पदाधिकारी/संबंधित उप विकास आयुक्त/संबंधित प्रमण्डलीय उप निदेशक, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण/उप सचिव, (बजट प्रभारी)/अवर सचिव (बजट प्रशाखा)/संबंधित सहायक प्रशाखा पदाधिकारी (बजट)/आईटीओमैनेजर, (विभागीय बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु) पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


सरकार के अपर सचिव।

बिहार सरकार
पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग

जननायक कर्पूरी ठाकुर छात्रावास के संचालन हेतु विभिन्न जिलों को आवंटित राशि की विवरणी :-

वित्तीय वर्ष 2025-26

(राशि ₹)

क्र.सं०	जिला	1301, कार्यालय व्यय	1303 दुरभाष	13 04 विद्युत प्रभार	2101 सामग्री एवं पूर्तियाँ	2802 संविदा सेवाएँ	कुल योग
1	अररिया				25000	125000	150000
2	अरवल					125000	125000
3	औरंगाबाद				25000		25000
4	कटिहार				25000		25000
5	कैमूर			70000			70000
6	किशनगंज	25000			25000		50000
7	गया			70000			70000
8	गोपालगंज	25000		70000	25000		120000
9	जमुई				25000		25000
10	जहानाबाद			70000		125000	195000
11	नालंदा			70000	25000	125000	220000
12	पुर्णियाँ				25000	125000	150000
13	पूर्वी चंपारण				5000		5000
14	पश्चिम चंपारण	25000			25000	125000	175000
15	बक्सर	25000		70000	25000	0	120000
16	बेगूसराय	20000	3900	70000	25000	125000	243900
17	मुंगेर	20000		70000	25000	125000	240000
18	मधेपुरा			50000	25000		75000
19	मधुबनी	15000		0	25000	0	40000
20	सुपौल					125000	125000
21	सीतामढ़ी	25000		70000	25000	36000	156000
22	रोहतास	25000		70000	25000	125000	245000
23	मुजफ्फरपुर	5000		70000	25000		100000
24	भोजपुर			70000	25000	125000	220000
25	पटना			70000		125000	195000
26	नवादा			70000			70000
27	समस्तीपुर	15000		70000	25000	125000	235000
28	लखीसराय					125000	125000
29	दरभंगा			70000	25000	125000	220000
30	सीवान				473000	53000	526000
31	खगड़ियाँ	25000	6100	70000	25000	0	126100
	कुल योग-	250000	10000	1240000	1003000	1964000	4467000

कुल राशि (रु० चौवालीस लाख सहस्रत हजार)

पत्रांक- 14 दिनांक- 12/02/26 का अनुलग्नक

सरकार के अपर सचिव।